तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 36/2025**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
08—8—2025	पत्रावली पेश हुई। श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी कान्तिलाल अग्रवाल पुत्र श्री शम्भूलाल, निवासी— कुम्हार मोहल्ला, आबूरोड़, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, मैसर्स श्याम ट्रेडिंग कम्पनी, कुम्हार मोहल्ला, आबूरोड़, जिला— सिरोही उपस्थित। आवेदक श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, केन्द्रीय दल, आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान, जयपुर द्वारा दिनांक 12—10—2024 को मैसर्स श्याम ट्रेडिंग कम्पनी, कुम्हार मोहल्ला, आबूरोड़, जिला— सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता कान्तिलाल अग्रवाल पुत्र श्री शम्भूलाल से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड ओम कृष्णा) का नमूना संख्या S-2508, खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1510/Act/2024/1562 दिनांक 30—10—2024 में अमानक (sub-standard) & Contravenes Regulation No. 2.3.7 (2) FSSR 2011 पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 व 58 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में आज नियत सुनवाई तिथि 08—8—2025 को प्रतिवादी कान्तिलाल अग्रवाल ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी कान्तिलाल अग्रवाल को आज ही सुना गया। जिसने अनुरोध किया कि यह उसका प्रथम अपराध है तथा ऐसी खाद्य सामग्री का विक्रय नही करेगा। इसलिये प्रकरण का निस्तारण करावे। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, केन्द्रीय दल, आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान, जयपुर, दिनांक 12—10—2024 को खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स श्याम ट्रेडिंग कम्पनी, कुम्हार मोहल्ला, आबूरोड़, जिला— सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी कान्तिलाल अग्रवाल पुत्र श्री शम्भूलाल, निवासी— कुम्हार मोहल्ला, आबूरोड़, जिला— सिरोही उपस्थित मिले। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, केन्द्रीय दल द्वारा मैसर्स श्याम ट्रेडिंग कम्पनी, कुम्हार मोहल्ला, आबूरोड़ की दुकान के निरीक्षण के दौरान दुकान के अन्दर खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड ओम कृष्णा) के 15 किलो का पैक टीन व अन्य विभिन्न खाद्य सामग्री के पैकेट आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए मिले। मैसर्स श्याम ट्रेडिंग कम्पनी, कुम्हार मोहल्ला, आबूरोड़ की दुकान में आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड ओम कृष्णा) के 15 किलोग्राम के पैक टीन में मिलावट का शक होने पर श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, केन्द्रीय दल ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक	नन

.......लगातार

प्रा. जिला कलेक्टर
सिरोही—307001.

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 36/2025	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	अधिनियम, 2006 के तहत नमूना लेने की सूचना गवाह श्री रमेश कुमार पुत्र पुत्र श्री अणदाराम, ग्राम पालडी, पोस्ट– धमाना, संचोर के समक्ष प्रतिवादी कान्तिलाल अग्रवाल को प्रपत्र 5ए में भरकर दी व रसीद प्राप्त की। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, केन्द्रीय दल ने मैसर्स श्याम ट्रेडिंग कम्पनी, कुम्हार मोहल्ला, आबूरोड़ की दुकान में आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड ओम कृष्णा) के 15 किलोग्राम पैक टीन को खुलवाकर उसमें से 800 ग्राम घी (ब्राण्ड ओम कृष्णा) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु उक्त गवाह के समक्ष खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 288/– (अक्षरे रुपये दो सौ अठीयासी मात्र) प्रतिवादी विक्रेता कान्तिलाल अग्रवाल को नकद अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, केन्द्रीय दल ने विधिवत कार्यवाही करते हुए नियमानुसार लेबल आदि तैयार कर लेबलों पर प्रतिवादी विक्रेता कान्तिलाल अग्रवाल व उक्त गवाह के हस्ताक्षर करवाते हुए श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, केन्द्रीय दल स्वयं द्वारा हस्ताक्षर किये गये। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा घी (ब्राण्ड ओम कृष्णा) को उक्त गवाह के समक्ष तोलकर 200–200 ग्राम चार साफ, सूखी, खाली प्लास्टिक की बोतलों में बराबर बराबर मात्रा में डाला एवं चारों बोतलों को अलग अलग ढ़क्कन से एयरटाईट बन्द किया तथा उक्त चारों नमूनों बोतलों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाकर चारों नमूनों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर चारों नमूना पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकत्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं क्रमांक S-2508 गोंद से चिपकाकर चारों नमूनों को अलग अलग मोटे मजबूत धागें से बांधकर चारों नमूना को नियमानुसार चपडी से सील मोहर कर चारों नमूनों पर प्रतिवादी विक्रेता कान्तिलाल अग्रवाल व गवाह के हस्ताक्षर करवायें एवं स्वयं श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, केन्द्रीय दल ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, केन्द्रीय दल ने घी (ब्राण्ड ओम कृष्णा) के उक्त चारों नमूनों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता कान्तिलाल अग्रवाल व गवाह तथा श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, केन्द्रीय दल के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, केन्द्रीय दल ने कार्यालय में पँहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, केन्द्रीय दल ने नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री सिद्धार्थ, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को दिनांक 21–10–2024 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 12–10–2024 को ही शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध ....लगातार	नन

.......लगातार

पीठ. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 36/2025**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए
		नन

दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, केन्द्रीय दल, आयुक्तालय, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान, जयपुर द्वारा मैसर्स श्याम ट्रेडिंग कम्पनी, कुम्हार मोहल्ला, आबूरोड़ में प्रतिवादी विक्रेता कान्तिलाल अग्रवाल पुत्र श्री शम्भुलाल अग्रवाल से खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड ओम कृष्णा) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, केन्द्रीय दल द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (गोपी श्री ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-2508 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से प्राप्त विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1510/Act/2024/1562 दिनांक 30—10—2024 में खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड ओम कृष्णा) का नमूना अमानक (sub-standard) & Contravenes Regulation No. 2.3.7 (2) FSSR 2011 पाया गया है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी कान्तिलाल अग्रवाल ने श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, केन्द्रीय दल को प्रकरण की अनुसंधान के दौरान खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड ओम कृष्णा) के 15 किलोग्राम के पैक टीन के खरीद का बिल प्रस्तुत नही किया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी कान्तिलाल अग्रवाल पुत्र श्री शम्भूलाल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, मैसर्स श्याम टेडिंग कम्पनी, कुम्हार मोहल्ला, आबूरोड़ ने अमानक (sub-standard) & Contravenes Regulation No. 2.3.7 (2) FSSR 2011 खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड ओम कृष्णा) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 व 58 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 व 58 के तहत अमानक (sub-standard) & Contravenes Regulation No. 2.3.7 (2) FSSR 2011, खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड ओम कृष्णा) के विक्रय हेतु प्रतिवादी कान्तिलाल अग्रवाल पुत्र श्री शम्भूलाल, निवासी—कुम्हार मोहल्ला, आबूरोड़, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, मैसर्स श्याम ट्रेडिंग कम्पनी, कुम्हार मोहल्ला, आबूरोड़, जिला— सिरोही पर राशि रुपये 15,000/— (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी कान्तिलाल अग्रवाल को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 03—9—2025 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही—307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)